राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषित:- (1) समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव ।
(2) समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
(3) समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
(4) निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।

क्रमांक:- प.1(9)राज-6/97/8

जयपुर, दिनांक:-6.4.98.

-: प रि प त्र :-

==========

विषय:- भूमि अवाप्ति से पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन लेने के संबंध में ।

वर्तमान में केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया अपनायी जा रही है । भूमि अवाप्ति से पूर्व मौके की स्थिति विशेषकर वहां बसी आबादी एवं अन्य सम्पत्तियों के बारे में पूर्ण ध्यान नहीं देने से अवाप्ति से छूट के लिए भूमिधारी आन्दोलन करते रहते है । परिणामस्वरूप कई बार विकट स्थितियां उत्पन्न हो जाती है । यह भी ध्यान में आया है कि कभी-कभी उपजाऊ एवं सिंचित भूमि भी अवाप्त कर ली जाती है ।

अतः राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है कि भूमि अवाप्ति से पूर्व भूमि का चयन ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए ताकि आबादी, सिंचित भूमि, उपजाऊ भूमि आदि को अवाप्ति से यथा सम्भव मुक्त रखा जा सके । राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि ऐसे प्रकरण जिनमें 12½ हैक्टयर से अधिक भूमि एक साथ अवाप्त की जानी है, उन प्रकरणों में कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित प्रशासनिक विभाग के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।

(एन0 के0 बैरवा) 3/4/…
प्रमुख शासन सचिव, राजस्व

मनोज/